Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

46-2016/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 29, 2016 (CHAITRA 9, 1938 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 29th March, 2016

No.17-HLA of 2016/20.— The Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Bill,2016, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 17- HLA of 2016

THE HARYANA MANAGEMENT OF CIVIC AMENITIES AND INFRASTRUCTURE DEFICIENT MUNICIPAL AREAS (SPECIAL PROVISIONS) BILL, 2016

A

BILL

to make special provisions for providing essential services in civic amenities and infrastructure deficient municipal areas in the State of Haryana and for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Act, 2016. Short title.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,- Definitions.

(a) "competent authority" means an authority competent to take legal action for violations, under the provisions of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975), the Punjab Scheduled Roads and

Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952 (Punjab Act 1 of 1953), or any other law for the time being in force;

(b) "declared area" means an area declared to be civic amenities and infrastructure deficient area under section 3;

(c) "essential services" means water supply, sewerage, roads and street lights;

(d) "Government" means the Government of the State of Haryana in the Administrative Department;

(e) "municipal area" means the municipal area as defined in the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) or the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), as the case may be;

(f) "municipality” means a municipality as defined in the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) and the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994);

(g) "unauthorized building” means a building that has been erected in contravention of the provisions of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975), the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952 (Punjab Act 1 of 1953) or any other law for the time being in force.

Declared area.

3. The Government may, by notification in the Official Gazette, declare any area of the municipal area to be civic amenities and infrastructure deficient area wherein-

(a) construction has taken place on more than fifty percent plots prior to the 31st March, 2015; and

(b) a resolution to this effect is passed by the concerned municipality and recommended by the concerned Divisional Commissioner in case of a Municipal Corporation and the Deputy Commissioner in case of a municipality:

Provided that the resolution already passed by the concerned municipality and recommended by the Divisional Commissioner or the Deputy Commissioner, as the case may be, fulfils the criteria, laid down by the Government.

Enforcement to be kept in abeyance.

4. (1) Notwithstanding anything contained in any other State law for the time being in force in the State of Haryana, any judgment, decree or order of any court or any authority to the contrary, any rules, regulations or bye-laws made there under, the Government shall within a period of one year from the commencement of this Act, take all possible measures to finalize norms, policy guidelines and feasible strategies to deal with the problem of civic amenities and infrastructure deficiencies, in the declared areas.

(2) All notices and restoration orders passed prior to the commencement of this Act, by any competent authority in the declared area for initiating legal action against persons who have sub-divided the land without authority or have erected or re-erected unauthorized buildings in contravention of provisions of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975), the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), or any other law for the time being in force, shall be deemed to have been suspended in the declared area and no further punitive action shall be taken during the aforesaid period of one year, except in the cases forwarded and pending before any court.

Regularisation of plots/buildings.

5. Notwithstanding anything contained in any other State law for the time being in force, the concerned municipality under which the declared area falls, may initiate action for providing essential services in such an area and further the plots or buildings located in the declared area shall, subject to the payment of fee and fulfillment of the terms and conditions within the specified time, as may be prescribed, be deemed to be regularized.

Entitlement for benefit.

6. No person shall be entitled to claim any benefit or relief-unless all the terms and conditions as specified by the Government have been fulfilled and requisite fee, as may be prescribed by the Government, has been deposited.

7. (1) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or the rules made there under. Immunity

(2) No suit or other legal proceedings shall lie against the Government in respect of any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or the rules made thereunder.

8. No civil court shall have the jurisdiction to entertain any suit relating to matters falling under this Act or the rules made thereunder. Bar of jurisdiction.

9. Nothing in this Act shall apply to any area- Exemptions.

(a) which is notified/covered under the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act 1 of 1894), the Forest Conservation Act, 1980 (Central Act 69 of 1980), the Environment Protection Act, 1986 (Central Act 29 of 1986), the Works of Defence Act, 1903 (Central Act 7 of 1903), the Indian Electricity Act, 1910 (Central Act 9 of 1910) or any other Central Act;

(b) owned by the Central or the State Government;

(c) owned by Boards and Corporations of the Central or the State Government;

(d) owned by public sector undertakings constituted under any law;

(e) where any industrial unit is located;

(f) where any commercial building, mall, multiplex, hotel or banquet hall is located;

(g) where any other type of building, as may be prescribed by the Government, is located.

10. The Government may, by notification in the Official Gazette and subject to previous publication, make rules for carrying out the purposes of this Act. Power to make rules.

11. (1) The Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Act, 2013 (Haryana Act 13 of 2013), is hereby repealed. Repeal and savings.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Act so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Act, 2013 (Haryana Act No. 13 of 2013) was enacted on 26.09.2013 as notified in the Official Gazette to make provision for providing Civic Amenities and Infrastructure within the municipal areas in which construction has taken place on more than 50% plots prior to 30.06.2009 and later amended to 01.01.2014 subject to fulfillment of other conditions viz. there is no encroachment on Government/ Semi-Government land, such areas are not affected by Punjab Land Preservation Act, Land Acquisition Act or any other Central/ State Government Acts. A total of 887 such areas were declared as civic amenities and infrastructure deficient areas in the State.

However, it has been observed that there are still number of unauthorized colonies/areas which have 50% or more constructed plots and fulfill other laid down parameters of the Act of 2013. Further, the Act of 2013 provided immunity to the notified colonies for one year of notification from punitive action to be taken with respect of provisions of other Acts/ Laws applicable. Further the Government has decided to notify colonies as civic amenities and infrastructure deficient areas fulfilling parameters as on 31.03.2015, so that deficient amenities & infrastructure can be provided. In view of above, it is proposed that the previous Act of 2013 be repealed and new Bill namely the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Area (Special Provisions) Bill, 2016 may be enacted.

KAVITA JAIN,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh: R. K. NANDAL,
The 29th March, 2016. Secretary.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 10 of the proposed Bill empowers State Government to frame for carrying out the purposes of the Act. This delegation of powers to the Executive is of normal character. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2016 का विधेयक संख्या 17–एच0एल0ए0

हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2016

हरियाणा राज्य में नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना में तथा उससे सम्बन्धित तथा उनसे अनुषंगिक मामलों के लिए आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करने हेतु विशेष उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24), हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16), हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8), पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम 1) या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन उल्लंघन के लिए विधिक कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ;

(ख) ''घोषित क्षेत्र'' से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना क्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्र ;

(ग) ''आवश्यक सेवाओं'' से अभिप्राय है, जल आपूर्ति, मल निकास, सड़कें तथा गली प्रकाश ;

(घ) ''सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार ;

(ङ) ''नगरपालिका क्षेत्र'' से अभिप्राय है, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) या हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) जैसी भी स्थिति हो, में यथा परिभाषित नगरपालिका क्षेत्र ;

(च) ''नगरपालिका'' से अभिप्राय है, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) तथा हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) में यथा परिभाषित नगरपालिका;

(छ) ''अप्राधिकृत निर्माण'' से अभिप्राय है, निर्माण जो हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24), हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16), हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8), पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम 1) या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबंधों के उल्लंघन में निर्मित किया गया है।

घोषित क्षेत्र।

3. सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नगरपालिका क्षेत्र के किसी क्षेत्र को अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकती है जिसमें–

(क) 31 मार्च, 2015 से पूर्व पचास प्रतिशत से अधिक प्लाटों पर संरचना हो चुकी है ; तथा

(ख) इस संबंध का संकल्प सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा पारित किया जाता है तथा नगर निगम की दशा में सम्बद्ध मंडल आयुक्त तथा नगरपालिका की दशा में उपायुक्त द्वारा सिफारिश किया जाता है :

परन्तु सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा पहले से ही पारित तथा मण्डल आयुक्त या उपायुक्त, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा सिफारिश संकल्प सरकार द्वारा अधिकथित मापदंड को पूरा करता है।

4. (1) हरियाणा राज्य में तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, किसी न्यायालय या किसी प्राधिकरण के किसी न्याय निर्णय, डिक्री या आदेश तथा इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों, विनियमों या उपविधियों के प्रतिकूल होते हुए भी, सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के भीतर घोषित क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना की समस्या से निपटने के मानकों, पालिसी मार्गदर्शकों तथा साध्य रणनीतियों के सभी संभव उपाय करेगी। प्रवर्तन अस्थगित रखना।

(2) ऐसे व्यक्तियों जिन्होंने हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24), हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16), हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8), पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबंधों की उल्लंघना में प्राधिकार के बिना भूमि का उप विभाजन किया है या अप्राधिकृत भवनों का निर्माण या पुनः निर्माण किया है, के विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए घोषित क्षेत्र में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व पारित सभी नोटिसों तथा पुनुरूद्धार आदेश घोषित क्षेत्र में निलम्बित किए गए समझे जाएंगे तथा किसी न्यायालय के समक्ष भेजे गए तथा लम्बित मामलों के सिवाए एक वर्ष की पूर्वोक्त अवधि के दौरान आगे कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

5. तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, सम्बद्ध नगरपालिका जिसके अधीन घोषित क्षेत्र आता है, ऐसे क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ कर सकती है तथा आगे घोषित क्षेत्र में अवस्थित प्लाटों या निर्माणों, को विनिर्दिष्ट समय के भीतर फीस के भुगतान तथा निबंधनों तथा शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन जो विहित की जाए, नियमित किया गया समझा जाएगा। प्लाटों/निर्माणों का नियमितीकरण।

6. कोई भी व्यक्ति किसी लाभ या राहत के दावे का हकदार तब तक नहीं होगा जब तक सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सभी निबंधन तथा शर्तें पूरी न की गई हों तथा अपेक्षित फीस, जो सरकार द्वारा विहित की जाए, जमा न करवाई गई हो। लाभ के लिए हकदार।

7. (1) किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी बात के संबंध में जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी। उन्मुक्ति।

(2) सरकार के विरुद्ध किसी बात द्वारा की गई या की जाने के लिए सम्भावित किसी क्षति के संबंध में जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

8. किसी भी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले मामलों के संबंध में कोई वाद ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी। अधिकारिता का वर्जन।

9. इस अधिनियम की कोई भी बात किसी क्षेत्र को लागू नहीं होगी– छूट।

(क) जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम 1), वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (1980 का केन्द्रीय अधिनियम 69), पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29), रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का केन्द्रीय अधिनियम 7), भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (1910 का केन्द्रीय अधिनियम 9) या किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अधिसूचित/ अन्तर्गत है;

(ख) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन है;

(ग) केन्द्रीय या राज्य सरकार के बोर्ड तथा निगमों द्वारा स्वामित्वाधीन है;

(घ) किसी विधि के अधीन गठित सार्वजनिक सैक्टर उपक्रमों द्वारा स्वामित्वधीन है;

(ङ) जहां कोई औद्योगिक इकाई अवस्थित है;

(च) जहां कोई वाणिज्यिक निर्माण, माल, बहुविध, होटल या दावत खाना अवस्थित है;

(छ) जहां कोई अन्य प्रकार का निर्माण, जो सरकार द्वारा विहित किया जाए, अवस्थित है।

नियम बनाने की शक्तियां।

10. सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तथा पूर्व प्रकाशन के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

11. (1) हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2013 (2013 का हरियाणा अधिनियम संख्या 13), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित किए गए अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्सम उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

सरकारी राजपत्र की अधिसूचना अनुसार 26.9.2013 को ऐसे नगरपालिका क्षेत्रों जिनमें 30.6.2009 से पूर्व 50 प्रतिशत से अधिक प्लाटों पर निर्माण कार्य किया हुआ था, ऐसी शर्तों की पूर्ति की दशा में जिसमें सरकारी/अर्धसरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण ना हो, ऐसे क्षेत्र पंजाब भूमि परिरक्षण अधिनियम, भूमि अधिग्रहण अधिनियम या अन्य किसी केन्द्रीय/राज्य सरकारी अधिनियम से प्रभावित ना हों, में नागरिक सुविधायें तथा अवसंरचना प्रदान करने का प्रावधान बनाने के लिये हरियाणा नगरपालिका अपूर्ण क्षेत्रों में नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष प्रावधान) 2013 अधिनियमित किया गया था। राज्य में कुल 887 ऐसे क्षेत्र पहले ही हरियाणा नागरिक सुविधायें तथा अवसंरचना, अपूर्ण पालिका क्षेत्र घोषित किये जा चुके हैं ।

इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि अभी भी कई अवैध कालोनियां/क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 50 प्रतिशत से ज्यादा मकान बने हुए हैं, जो 2013 के अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए मापदण्डों को पूरा करते हैं। इस के अतिरिक्त अधिनियम 2013, अधिसूचित कालोनियों को केवल एक वर्ष के लिए दूसरे अधिनियमों की विभिन्न धाराओं के तहत दंडात्मक कार्यवाही से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसलिए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो कालोनियों/क्षेत्र 31.03.2015 तक सभी मापदण्डों को पूरा करती हो, उन्हें नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना, अपूर्णक्षेत्रों के रूप में घोषित किया जाए ताकि उनमें नागरिक सुख सुविधाओ तथा अवसंरचना प्रदान की जा सके। उपरोक्त के सन्दर्भ में यह प्रस्तावित किया जाता है कि पिछले अधिनियम 2013 को निरसन करके नया विधेयक हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2016 को अधिनियमित किया जाये

कविता जैन,
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 29 मार्च, 2016.

आर0 के0 नांदल,
सचिव।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक का खण्ड 10 अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु राज्य सरकार को सशक्त करती है। कार्यकारी शक्तियों को यह प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है। अतः प्रत्यायोजित विधान संबंधी यह ज्ञापन हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 126 के अधीन यथा अपेक्षित संलग्न है।

54206—H.V.S.—H.G.P., Chd.